न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
118/2024	दावा 53,88 RTA	11.11.2024	31.12.2024

1. हरलाल पुत्र श्री खेमाराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा चूरूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. रतनादेवी पत्नी श्री खेमाराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

वादीगण

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र श्री दानाराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. भागीरथ पुत्र श्री दानाराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. रामनिवास पुत्र श्री दानाराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. शिशपाल पुत्र श्री दानाराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. राजकुमार पुत्र श्री दोलतराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.
6. शाखा प्रबंधक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा रतननगर जिला चूरू
7. शाखा प्रबंधक महोदय बैंक आफ बड़ौदा
8. श्रीमान उपपंजीयक चूरू तहसील व जिला चूरू
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

प्रतिवादीगण

10. राकेश कुमार पुत्र श्री खेमाराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

गौणप्रतिवादीगण

उपस्थितिः– 1. अधिवक्ता वादी शिवगौतम
2. पैरोकार राज

वादीगण व गौण प्रतिवादीगण की ओर से की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया गया है कि 1. कृषि भूमि में वादीगण, गौण प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व गोण प्रतिवादीगण का दोनो रोही कि कृषि भूमि में 1/6 हिस्सा की कृषि भूमि खातेदारी की है। प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2071--2074 की प्रमाणित प्रतिलिपि दावा हाजा के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

2. कृषि भूमि ख.नं. 175 तादादी 6.6393 हैक्टेयर व खसरा नं 177 तादादी 1.5176 कुल कीता दो कुल तादादी 8.1569 रोही सुरतपुरा तहसील व जिला चूरू में से वादीगण व गौण प्रतिवादीगण का 1/6 हिस्सा (1.3594 हैक्टेयर) एवं कृषि भूमि ख.नं. 208 तादादी 2.6684 हैक्टेयर व खसरा नं 236 तादादी 5.3115, खसरा नं 479/270 तादादी 0.4426, खसरा नं 480/270 तादादी 0.0506 खसरा नं 481/270 तादादी 0.8220 कुल कीता पांच कुल तादादी 9.2951 रोही मोलीसर बड़ा तहसील व जिला चूरू में वादीगण व गौण प्रतिवादीगण का 1/6 हिस्सा अर्थात (1.5451 हैक्टेयर) है।

3. कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। यह कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण के अविभक्त रूप से संयुक्त करते व काश्त में चली आ रही है।

4. अब वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अलग–अलग [illegible] काश्त कर रहे है और वादगत कृषि भूमि शामलात में रहने से वादग्रस्त कृषि भूमि के [illegible] की किस्म को लेकर व काश्त के मध्य लूंग पाला आदि को लेकर पक्षकारों [illegible] लिए वादी के लिए आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:06 IST
Reason: SelfAttested

हो गया है कि अपने हिस्से की खातेदारी भूमि का खाता व लगान अलग कायम करवायें जिस हेतु कृषि भूमि के विभाजन का यह दावा पेश किया जा रहा है।

5.प्रतिवादीगण 1 से 5 द्वारा उक्त कृषि भूमि का बिना खाता विभाजन किये उक्त भूमि वादी के हिस्से को खुर्द बुर्द किया जा रहा है इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि जब तक खाता विभाजन न होने तक प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमि को खुर्द बुर्द ना करे ना हि ऐसा कोई कार्य करे जिसमे बाकि के हिस्सो की कृषि भूमि पर प्रभाव पड़े।

6.वादी का खाता विभाजन किया जावे तो विभाजन के दौरान वादीगण को अपने हिस्से के रास्ते का अंकन कराते हुए विभाजन किया जावे जिससे वादी व प्रतिवादीगण के बीच भविष्य में किसी भी प्रकार का का कोई वाद--विवाद ना हो।

7. वादी ने प्रतिवादीगण को कहा व कहलवाया कि साथ चलकर वादी के हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा व लगान अलग कायम करवाले मगर प्रतिवादीगण टाल--मटोल करते रहे व अस्वीकार दिनांक 28.10.2024 को प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ--साफ इन्कार कर दिया लिहाजा तारीख दिनांक 28.10.2024 से वाद कारण तथा वाद हेतुक वादी को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त हो गया है।

8. उक्त कृषि भूमि बैंक के रहन होने के कारण बैंक को पक्षकार संख्या 06 व 07 बनाया गया है।

9. यह कि दावा कृषि भूमि विभाजन का है तथा LAND Holder होने के कारण दावा हाजा में राजस्थान सरकार को पक्षकार संख्या 09 बनाया गया है मगर दावा में राज्य सरकार के हितों पर प्रतिकूल प्रभवन डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए दावा से पूर्व धारा 80 जा0दी0 के नोटिस दिये जाने कोई आवश्यकता नहीं है

10. कृषि भूमि का विक्रय पत्र उपहार पत्र आदि हो जाये इसलिए उपपंजीयक को पक्षकार संख्या 08 बनाया गया है।

11. कि निवास स्थान फेरिकेन व वादग्रस्त कृषि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखेनुसार डिक्री फरमाया जावे।

(क) जरिये डिक्री कृषि भूमि क्षेत्र विभाजन कृषि भूमि ख.नं. 175 तादादी 6.6393 हैक्टेयर व खसरा नं 177 तादादी 1.5176 कुल कीता दो कुल तादादी 8.1569 रोही सुरतपुरा तहसील व जिला चूरू में से वादीगण व गौण प्रतिवादीगण का 1/6 हिस्सा (1.3594 हेक्टेयर) एवं कृषि भूमि ख.नं. 208 तादादी 2.6684 हेक्टेयर व खसरा नं 236 तादादी 5.3115, खसरा नं 479/270 तादादी 0.4426, खसरा नं 480/270 तादादी 0.0506, खसरा नं 481/270 तादादी 0.8220 कुल कीता पांच कुल तादादी 9.2951 रोही मोलीसर बड़ा तहसील व जिला चूरू की भूमि का खाता व लगान अलग--अलग कायम किया जावे और वादी के भाग पर प्रतिवादीगण कब्जा काश्त न करें व अन्य फैल या तर्क फैल ना करे जिससे वादी के कब्जे काश्त व हक अधिकार पर विपरीत असर पड़े।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या हो जावे वादी को दिलाया जावे। श्रीमान् जी की कृपा होगी।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया ... अतिआवश्यक होने से शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना--पत्र प्रस्तुत ... गया कि प्रतिवादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:06 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 18.12.2024 को उपस्थिति कर दूंगा परंतु प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 20.12.2024 को तहसीलदार चूरू की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार चूरू रतनगढ रेलवे दोहरीकरण बाबत ग्राम सुरतपुरा के खसरा नम्बर 175 तादादी 6.6393 हैक्टेयर भूमि में से रेल्वे विभाग द्वारा 1.7201 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है। इस सम्बन्ध पटवारी हल्का की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो इस प्रकार है।

सहमति पत्र

1. भंवरलाल पुत्र दानाराम 2. भागीरथ पुत्र दानाराम 3. शिशपाल पुत्र दानाराम 4. रामनिवास पुत्र दानाराम 5. राजकुमार पुत्र दौलतराम 6. रतनादेवी पत्नी खेमाराम, राकेश पुत्र खेमाराम, हरलाल पुत्र खेमाराम जाति --जाट निवासी मोलीसर बड़ा के खातेदार है, जिनकी ग्राम--मोलीसर बड़ा, सूरतपुरा(तहसील--चूरू) व ग्राम हनुमानपुरा (तहसील--तरनगढ) में संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थिति है, जिस पर हम सभी सहखातेदार निम्न प्रकार सहमति प्रदान करते है।

1. यह कि ग्राम सूरतपुरा में ख. नं. 175 रकबा 6.6393 है जिसमें से रेलवे विभाग में 1.7201 भूमि जाने के बाद शेष भूमि 4.9192 है. भूमि में से दो बराबर बराबर हिस्सो में उतर दिशा कि 2.4596 है. भूमि रतनादेवी पत्नी खेमाराम, हरलाल पुत्र खेमाराम, राकेश पुत्र खेमाराम, को तथा खसरा नम्बर 175 के दक्षिण दिशा की भूमि 2.4596 हैक्टेयर भूमि राजकुमार पुत्र दौलतराम को दे रहे है।
2. ग्राम सूरतपुरा में खसरा नम्बर 177 रकबा 1.5176 है भूमि मं से 0.2529 हैक्टेयर भूमि पूर्व दिशा कि रतनादेवी को 0.2529 है. भूमि रतनादेवी के चिपती राजकुमार पुत्र दौलतराम को तथा शेष भूमि 1.0118 है. भंवरलाल पुत्र दानाराम को दे रहे है।
3. यह कि ग्राम मोलीसर बड़ा के ख. नं. 208 तादादी 2.6684 है भूमि रामनिवाश पुत्र दानाराम को दे रहे है।
4. ग्राम मोलीसर बड़ा के खसरा नम्बर 236 तादादी 5.3115 में बराबर--बराबर हिस्से कि उतर दिशा की भूमि 2.6557 है भूमि शिशपाल पुत्र दानाराम तथा दक्षिण दिशा की 2.6557 है. भूमि भागीरथ पुत्र दानाराम को दे रहे है।
5. ग्राम मोलीसर बड़ा के ख.नं. 476/270 तादादी 0.4426 है. भूमि में से सभी सहखातेदार सम--भाग में बराबर--बराबर रखेंगे।
6. ग्राम हनुमानपुरा के ख. नं. 123 तादादी 2.2764 है. भूमि में से सम्पूर्ण भूमि भंवरलाल पुत्र दानाराम को दे रहे है।

तहसीलदार चूरू से प्राप्त सहमति पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार सभी सहखातेदारन के उक्त सहमति पत्र पर हस्ताक्षर है तथा रेलवे द्वारा भूमि अवाप्त की गई थी उस भूमि के कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद हो गया था। इस बाबत यह दावा पेश किया गया है। अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि प्रकरण अति आवश्यक प्रकृति का तथा सहमति पत्र तहसीलदार चूरू से प्राप्त हो चुका है जिस पर सभी पक्षकारों के मध्य सहमति पत्र का हस्ताक्षर है तथा सहमति पत्र को सही होना स्वीकार किया है। जिस पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया तो न्यायालय निम्न निष्कर्ष पर पहूंचा कि

- ✓ वादीगण ने कृषि भूमि के विभाजन के लिए उपरोक्त दावा पेश किया है। वादी और गौण प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी वाली भू[illegible] और काश्त संबंधी विवाद के समाधान हेतु यह दावा प्रस्तुत कि[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:06 IST
Reason: SelfAttested

- ✓ संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजनः वादीगण और गौण प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि में 1/6 हिस्सा वादीगण का है।
- ✓ कृषि भूमि विवरणः

रोही ग्राम सूतपुराः–खसरा नम्बर 175 (6.6393 हैक्टेयर) और खसरा नम्बर 177 (1.5176 हैक्टेयर) कुल 8.1569 हैक्टेयर भूमि।
रोही ग्राम मोलीसर बडाः– खसरा नम्बर 208 (2.6684 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 236 (5.3115 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 479/270 (0.4426 हैक्टेयर) खसरा नम्बर 480/270 (0.0506 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 481/270 (0.8220 हैक्टेयर) कृ कुल 9.2951 हैक्टेयर भूमि।
कुल मिलाकर, वादीगण व गौगण प्रतिवादीगण का 1/6 हिस्सा है।

- ✓ वादीगण और प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी और काश्त भूमि में विवाद है। वादी ने अपने हिस्से का अलग खाता और लगान की मांग की है।
- ✓ विभाजन हेतु सहमतिः

भूमि के विभाजन को लेकर सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें भूमि के हिस्से को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है, और रेलवे विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति का विवरण भी है।
भूमि के 1.7201 हैक्टेयर हिस्से को रेलवे द्वारा अवाप्त किया गया है।

- ✓ सहमति पत्र का विवरणः

ग्राम सूरतपुराः
खसरा नम्बर 175 (6.6393 हैक्टेयर), रेलवे द्वारा 1.7201 हैक्टेयर भूमि अवाप्त, वर्तमान खसरा नम्बर 553/175 तादादी 4.9192 हैक्टेयर भूमि को दो हिस्सों में विभाजित किया गया। एक हिस्सा 2.4596 हैक्टेयर रतनादेवी, हरलाल, और राकेश को उत्तर दिशा की रेलवे लाईन के साथ–साथ की दी गई जबकि दूसरा दक्षिणी हिस्सा 2.4596 हैक्टेयर राजकुमार पुत्र दोलाराम को दिया गया।
खसरा नम्बर 177 (1.5176 हैक्टेयर), इसमें से 0.2529 हैक्टेयर भूमि पूर्व दिशा की रतनादेवी को रताना देवी के विपती भूमि 0.2529 हैक्टेयर राजकुमार को और 1.0118 हैक्टेयर भूमि भंवरलाल को दी गई।

ग्राम मोलीसर बड़ाः
खसरा नम्बर 208 (2.6684 हैक्टेयर) भूमि रामनिवास को दी गई।
खसरा नम्बर 236 (5.3115 हैक्टेयर) में से उत्तर दिशा की 2.6557 हैक्टेयर भूमि शिशपाल पुत्र दानाराम को तथा दक्षिण की 2.6557 हैक्टेयर भूमि भागीरथ पुत्र दानाराम को को बांटी गई।
खसरा नम्बर 479/270 (0.4426 हैक्टेयर) व 481/270 तादादी .8820 हैक्टेयर भूमि सभी सहखातेदारों में बराबर बांटी जाएगी।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण एवं सहमति पत्र के प्रतिवादीगण का तहसीलदार चूरू की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट मय सहमति पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तहसीलदार चूरू को निर्देशित किया जाता है कि सहमति पत्र के आधार पर राजस्व नक्शा तैयार कर उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अभिलेख में अमलदारामद करें। तहसीलदार चूरू की ओर से प्रस्तुत सहमति पत्र भविष्य में निर्णय एवं डिक्री का भाग माना जावेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर करवाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:06 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

प्रारम्भिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री बिजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

1. हरलाल पुत्र श्री खेमाराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा चूरूक तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. स्तनादेवी पत्नी श्री खेमाराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

वादीगण

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र श्री दानाराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. भागीरथ पुत्र श्री दानाराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. रामनिवास पुत्र श्री दानाराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. शिशपाल पुत्र श्री दानाराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. राजकुमार पुत्र श्री दोलतराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. शाखा प्रबंधक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा रतननगर जिला चूरू
7. शाखा प्रबंधक महोदय बैंक आफ बड़ौदा
8. श्रीमान उपपंजीयक चूरू तहसील व जिला चूरू
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

प्रतिवादीगण

10. राकेश कुमार पुत्र श्री खेमाराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा चूरू तहसील व जिला चूरू

गौणप्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,38आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 118 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण एवं सहमति पत्र प्रतिवादीगण का तहसीलदार चूरू की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट मय सहमति पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नानुसार विभाजन किये जाने व लगान अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय विवरण	रोही ग्राम सुरतपुरा		
		ख.नं.	रकबा है.	किस्म

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:06 IST
Reason: SelfAttested

1.	रतना देवी पत्नी खेमाराम, राकेश कुमार पुत्र खेमाराम, हरलाल पुत्र खेमाराम ब.हि.ब. जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा	553/176 मी. (उत्तरदिशा) 177 मी.(पूर्व दिशा)	2.4596 0.2529	बरानी बारानी
		किता--2	2.7125	बारानी
2.	राजकुमार पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा खातेदार	553/176 मी. (दक्षिण दिशा) 177 मी.(रतना देवी के चिपती)	2.4596 0.2529	बरानी बारानी
		किता--2	2.7125	बारानी
3.	भंवरलाल पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा	177 मी.	1.0118	बरानी
		किता--1	1.0118	बरानी
	रोही ग्राम मोलीसर बड़ा			
4.	रामनिवास पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा	208	2.6684	बरानी
5	शिशपाल पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा	236 मी.(उत्तर दिशा)	2.6557	बारानी
6	भागीरथ पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा खातेदार	236मी.(दक्षिणदिशा)	2.6558	बारानी
7	भंवरलाल पुत्र दानाराम 1/6 हिस्सा, भागीरथ पुत्र दानाराम 1/6 हिस्सा, रतनादेवी पत्नी खेमाराम 1/18 हिस्सा, राकेश कुमार पुत्र खेमाराम 1/18 हिस्सा, हरलाल पुत्र खेमाराम 1/18 हिस्सा, राजकुमार पुत्र दौलतराम 1/6 हिस्सा, रामनिवासी पुत्र दानाराम 1/6 हिस्सा, शिशपाल पुत्र दानाराम 1/6 हिस्सा जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा	479/270 481/279	.4426 .8220	बरानी बारानी

तहसीलदार चूरू को निर्देशित किया जाता है कि सहमति पत्र के आधार पर राजस्व नक्शा तैयार कर उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अभिलेख में अमलदारामद करें। तहसीलदार चूरू की ओर से प्रस्तुत सहमति पत्र व भविष्य में निर्णय एवं डिक्री का भाग माना जावेगा।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 31 माह दिसम्बर सन् 2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:06 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू